अधिवक्ता संघ का इतिहास
(विस्मृत स्मृंतियां)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 125 किमी. दूरी पर फैजाबाद शहर आबाद है। याम्योत्तर पैमाने पर उसकी स्थिति लगभग 26° अंश– 48° पूर्वी अक्षांश तथा 62° अंश– 13° पूर्वी देशान्तर पर बनती है। अत्यन्त प्राचीन काल में इसे अयोध्या, अवध, साकेत आदि नामों से जाना जाता है। हिन्दू ग्रन्थों में इस नगर को अग्रगण्य पवित्र नगर के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए इसे सृष्टि का केन्द्र घोषित किया गया है। सुविख्यात चीनी यात्री हवेनसांग ने अपने यात्रा वृतान्तों में इस नगर को हिन्दू बोद्ध एवं जैन संस्कृतियों का केन्द्र घोषित किया गया है। नवाबो के शासन काल में सन् 1775 ई. में यहीं से अवध की राजधानी लखनऊ को स्थानान्तरित हुयी थीं। नवाब वजीर आसफ–द्–दौला जब इसे छोड़कर अपनी नयी राजधानी लखनऊ विस्थापित हो गये, तब बहु बेगम (बेगम आलिया, जिनका मकबरा फैजाबाद शहर की सबसे जबरस्त इमारत है) ने सन् 1815ई. तक, अपनी मृत्यु पर्यन्त, वैभव से सम्पन्न इस नगर की बागडेार अपने हाथों में सम्भाले रखी थीं।

अंग्रेजी शासन के दौरान इस क्षेत्र की महत्ता को पुनः महसूस किया जाने लगा। कम्पनी बहादुर ने फरवरी 1856ई. में अवध को अंग्रेजी शासन के तहत जोड़ते हुए फैजाबाद को डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनों का केन्द्र बनाया। फैजाबाद का प्रथम कमिश्नर Colonel P. Goldney को बनाया गया। नई सड़कें, रेलवे लाईनें बिछायी जाने लगी। डाकखानों, विद्यालय, अस्पतालों, तहसीलों व थानों आदि का गठल शुरू हुआ। उस समय फैजाबाद शहर के नाम को आज से भिन्न वर्ण संयोजनों के द्वारा व्यक्त किया जाता था। आज की तारीख में फैजाबाद की स्पेलिंग FAIZABAD लिखी जाती है परन्तु उस समय इस FYZABAD के रूप में लिखा जाता था।

फैजाबाद शहर में वकालत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि थानों और तहसीलों का गठन होकर अंग्रेजी सत्ता के अधीन कामकाज शुरू

किया जाना। सन् 1857 ई. की गदर के बाद राजकाज कम्पनी बहादुर के हाथों से छीनकर महारानी विक्टोरिया की हुकुमत के तले सीधे तौर पर लाया गया, जिसके चलते सीधे तौर पर बरतानिया हुकुमत का निजाम चलने लगा। और इसी सिस्टम के तहत वकीलों की वाकलत भी परवान चढ़ती गई। धीरे–धीरे इस पेशे से जुड़े लोग, जो छिटके हुए से थें, उन्होंने अपने हितों की सुरक्षा के लिए एक मांच की आवश्यकता का अनुभव किया, जिसके चलते वर्तमान बार एसोसिएशन की संकल्पना उभर कर सामने आयी।

बरतानिया हुकुमत की वास्तुशैली से अनुप्राणित 36 बलुआ पत्थरों के स्तम्भों पर आरूढ़ चतुर्दिक बरामदों से आवृत्त, कोणों पर सुदृढ़ कमरों एवं मध्य के विशाल हाल से संयुक्त, सुन्दर पोर्टिको, प्याऊ, शंका निवारण स्थल एवं सुविधा सम्पन्न आरामखाना वगैरह से भव्य स्वरुप प्रदान करते हैं । साथ ही विशाल सभागार, समृद्ध लाइब्रेही, अधिवक्ता कैन्टीन, अधिवक्ताओं के बैठने हेतु विविध शैलियों में निर्मित स्थान, नोटरी कक्ष तथा लखनऊ रोड की ओर खुलने वाली उत्तराधिमुखी दो गेट तथा उद्यान आदि इसकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं।

इस संघ के सदस्य जब अन्य जगहों पर अपना न्यायिक कार्य करने जाते हैं, तो उसका सीना गर्व से उस समय चौड़ा हो जाता हैः जब बाहर से लोग उनसे यह कहते हुए मिलत है : कि **"आपके फैजाबाद बार ऐसोसिएशन जैसा साधन सम्पन्न बार तो पूरे भारत वर्ष मे ढूंढने पर भी शायद ही मिलेगा।"**

परन्तु बार एसोसिएशन फैजाबाद का जो स्वरूप वर्तमान में दिखलाई पड़ता है निश्चित रूप से वह एक दिन में नहीं बना। इसके बनने में 100 वर्षों के अनवरत संघर्ष की कहानी छुपी है। संघ की रक्तिम आभा छिटकाती भव्य लाल इमारत आज भी मूक बलिदान की प्रेरणा देती है।

बार एसोसिएशन के गठन की प्रक्रिया की कहानी सन् 1902 ई. से आरम्भ हो जाती है। परन्तु आरम्भिक दौर में गठित बार एसोसिएशन की कार्यवाहियां इतनी सुगठित नहीं थी, जितना कि हम आज कल देखते हैं। अब आप उदाहरण के तौर पर सन् 1902ई. तक के प्रत्येक मीटिंग के लिए अध्यक्ष को मीटिंग से ठीक पहले चुना जाता था और उसे Chair person

or person in chair तथा मंत्री को Honoruary Secretary कहा जाता था। अगस्त सन् 1902 को यह पास करते हुए प्राविधान लाया गया कि, वर्ष में एक ही बार अध्यक्ष का चयन किया जाय और वह वर्ष भर के लिए होगा। उस समय अध्यक्ष जनरल मीटिंग में सदस्यों द्वारा हाथ उठवाकर बनाया जाता था, जोकि जनवरी के महीने में होती थी। बाबू बलदेव प्रसाद हमारे रजिस्टर्ड अधिवक्ता संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। उस समय भी सेक्रेटरी को Honourary Secretary कहा जाता था परन्तु बाद में एक प्रस्ताव पास करके Honorary शब्द हटाया गया। दि. 2.8.1902 से पूर्व जो भी मीटिंगें आयोजित की हुयी है। उनसे खास बात यह भी कि इनमें प्रत्येक मीटिंग के लिए अध्यक्ष का चयन तत्काल उसी मीटिंग में ही कर लिया जाता था और उसी के माध्यम से प्रस्तावों को सर्वसम्मत से पास करवाया जाता था। दि. 2.8.1902 को श्री Imtiyaj Ali प्रेसीडेंट चुने गये थें, जबकि अन्य उपस्थित 11 सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि अधिवक्ता संघ के रूप में अधिवक्ता हितों की सुरक्षा के लिए एक मंच का गठन किया जाय, जिसके निम्नलिखित 3 उद्देश्य निर्धारित किये गये।

1. The objects of the Association are to consider matters affecting interest of the legal professional at Faizabad.
2. To promote High professional tone among the members of the profession.
3. To refrain unrofessional practice.

यही तीनों हमारे अधिवक्ता संघ के मूल उद्देश्य निर्धारित किए गये थे। इसी मींटिंग में यह निर्णय भी लिया गया कि अधिवक्ता संध के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें जिनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा, वे स्पेशल मीटिंग में चयनित किए जायेगें, जो वर्ष भर संस्था का कार्यभार देखेंगें।

1.President **2. Vice-President**

3.Honerary Secretary **4. Joint Secretary और सदस्य**

इस प्रकार सन् 1904 ई. के आते–आते बार एसोसिएशन, फैजाबाद ने एक अपंजीकृत संस्था के रूप में विधिवत काम शुरू करते हुए अपने वजूद को प्रकट कर दिया था। काम तो शुरू हो गया, परन्तु संघ के पास न तो अपनी जमीन थीं, न कोई भवन था और न ही कोई संसाधन। अगर कुछ था, तो वह था, अधिवक्ता संघ की भव्य संकल्पना को जीवन्त रूप में देखने की अदम्य जीवनीशक्ति । इस अवस्था में संघ की पहली जरूरत थीं, 'भूमि जिसके लिए बरतानिया हुकुमत से मांग की गयी। भूमि की मांग सबसे पहले सन् 1905 ई. में की गयी। इस बात की अभिपुष्टि, तत्कालीन Deputy Commissioner Faizabad; जो अंग्रेज I.C.S. थें, के एक न्यायिक आदेश, जो दिनांक 24.12.1938 को किया था, के जरिये होती है। **क्योंकि संघ द्वारा भूमि की मांग को प्रशासन द्वारा मान्यता देते हुए इसे शासन के अनुमोदन के लिए सन् 1905ई. में भेजा गया, इसीलिए हम संघ की स्थापना सन् 1905 ई. से ही मानते हैं।**

सर्वप्रथम बार एसोसिएशन ने अपने एक रिजोलयूशन को पास करते हुए सन् 1905ई. में कोर्ट कम्पाउन्ड के भीतर संघ के भवन निर्माण हेतु एक प्रार्थना पत्र कमिश्नर फैजाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रांक–587 दिनांकित 2.1̥2.05 को तत्कालीन कमिश्नर के जरिये एक ड्राफ्ट लीज शासन के पास भेजा गया था, ताकि उसका अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। इस ड्राफट के मुताबिक बार एसोसिएशन फैजाबाद को 2 विस्वा 12 विस्वांसी 8 कचवांसी तथा 13^{4o3}/1089 अनवासी भूमि ही 99 वर्ष के पट्टे पर भवन निर्माण के लिए देने की बात की गयी थी। इस ड्राफ्ट को भेजने से पूर्व तत्कालीन शासन ने कुछ शर्ते भी रखी थीं, जिसे बार एसोसिएशन ने फौरी तौर पर स्वीकार भी किया था। ये शर्ते निम्नलिखित थी।

1. भूमि का किराया बार एसोसिएशन के द्वारा रू0 6/– सालाना की दर से भुगतान किया जायेगा।
2. बार एसोसिएशन अपने भवन के अलावा किसी अन्य भवन का निर्माण बगैर सेक्रेटरी आफ दि स्टेट के सैंक्शन नहीं करेगा।
3. निर्मित संघ किसी भी दशा में रिहायशी उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

4. निर्मित संघ भवन सिर्फ संघ से जुड़े प्रयोजनों के लिए ही प्रस्तुत होगा।
5. बार एसोसिएशन को सन्दर्भगत भूमि किसी अन्य को अन्तरित करने का अधिकार होगा।
6. 99 वर्ष के पट्टे को बार एसोसिएशन को अवधि समापन पर पुनः 'नवीनीकरण करवाने का अधिकार होगा।

वस्तुतः उपरोक्त एग्रीमेंट नजूल भूमि को पट्टे पर बार एसोसिएशन फैजाबाद को उठाये जाने हेतु था जिसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। अंग्रेज सरकार ने अपने जी.ओ. नं.151 डब्ल्यू–6213बी–1 दिनांकित 12 जनवरी 1906 ई. में निर्देश जारी किया कि –

1. **भवन की वास्तु शैली ठीक वैसे ही रखनी होगी, जैसे कि जनपद न्यायाधीश के अदालत की वास्तु शैली है।**
2. भवन की अनुमानित लागत का स्टीमेंट तथा रूपरेखा Superintending Engineer के पास भेजा जायेगा।
3. एग्रीमेन्ट में अनुक्रम में Public Work Manual of orders के पैराग्राफ 171 को पूरे तौर पर लागू किया जायेगा।

यद्यपि ड्राफ्ट लीज का अनुमोदन किया जा चुका है, जी.ओ. के माध्यम से Instruction भी जारी किये जा चुके है परन्तु Bar Association की विल्डिंग का निर्माण कार्य सन् 1911 ई. तक आरम्भ न हो सका।

इसके कारण में यह तथ्य था कि अंग्रेज सरकार की वास्तविक मंशा का खुलासा, उसके एक अधिकारी के उस पत्र के माध्यम से हो गया था, जिसमें उसने प्रस्ताव किया थाः कि बार एसोसिएशन को इच्छित भूमि का अधिग्रहण बिना किसी किराये के कर लेने दिया जावे ताकि, वे उस पर कमिश्नर द्वारा अनुमोदित भवन तामीर करावे और उसे बार एसोसिएशन के उद्देश्यों से बाहर इस्तेमाल होने पर सरकार को पुनः वापस कर दिया जावे।

सम्भवतः इस नये प्रस्ताव में अधिवक्ताओं की बरतानिया सरकार के प्रस्तावित संघ भवन को हड़प लेने के इरादे की ध्वनि सुनाई पड़ी होगी कि

कदाचित अंग्रेज कभी भी यह इल्जाम लगाकर कि भवन संघ के प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, हड़प सकते थें।

यही कारण था कि अंग्रेज सरकार की तरफ से लाये इस प्रस्ताव को अधिवक्ता संघ ने इन्कार कर दिया। उन्होंने कमिश्नर के पूछे जाने पर लिखा "The plans of 1905 having been approved, no further appoval of plan are nacessary" शासन की उक्त अनुमति और अनुमोदन दस्ताबेज में निम्नलिखित रूप से उल्लिखित है–

"Bar Association Faizabad obtained leave from the Secretary to go government North Western province of Agra and Auodh, in the public Works Department by G.O. No. 151-62B&1 Dated 12 January 1906 Under Rule Laid down by his honour the lieutenant Governor of the North Western province and Chief Commissioner of Auoth in the resolution No. 10 PW of the 28th July 1891 to Erect a building for accomodation of the member of the Bar Association Fiazabad."

इस स्तर पर किसी नये प्रस्ताव या संशोधन को मानने से अधिवक्ता संघ द्वारा इन्कार कर देने की उनकी मंशा सरकार को स्पष्ट कर दी गयी थीं और पुराने अपरूवल के आधार पर भवन निर्माण की योजना बनायी जाने लगी थीं। परन्तु हमारे अधिवक्तागण सजग हो गये थें, क्योंकि उस समय के अधिवक्ता अंग्रेजी सरकार की साम्राज्यवादी सोच और हितों से रूबरू थें इसलिए इन्हें आभाष हो गया था कि विधिक व्यक्ति के हैसियत प्राप्त करने के लिए अब संघ का रजिस्ट्रेशन भी अपरिहार्य बन गया है, क्योंकि वे सशांकित हो गये थें कि भविष्य में अधिवक्ताओं के खून पसीने की कमाई से निर्मित भवन को अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी हितों के साधन के लिए कभी भी हथिया सकते है। इसलिए इन सब परिस्थितियों के चलते सन् 1911 ई. में अधिवक्ता संघ के रजिस्ट्रेशन के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन विधिवत रुप से आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। 23 मई 1911 ई. को तत्कालीन रजिस्ट्रार आफ दि सोसाइटीज आफ आगरा एण्ड अवध ने

अधिवक्ता संघ को नियमानुसार पंजीकृत करने की इजाजत प्रदान कर दी और उस समय विधि के अनुसार अपेक्षित शुल्क जोकि रु0 50.00 मात्र हुआ करता था, को अदा करते हुए अधिवक्ता संघ फैजाबाद को पंजीकृत कराने हेतु इसे विधिक व्यक्ति का स्वरुप प्रदान किया गया, इस स्थिति में संघ अपने नाम से अधिकृत कोष रखने और किसी के ऊपर मुकदमा करने की स्थिति में आ गया। उस समय अधिवक्ता संघ में कुल 23 सदस्य थें, उसकी कार्यकारिणी में कुल 5 अधिकारी हुआ करते थें Bar Association Faizabad के पंजीकृत होने के उपरान्त जो पहली कार्यकारिणी बनी उनके नाम इस प्रकार थे।

1. President – Babu Baldeo Prasad
2. Vice President – Thakur L.B. Singh
3. Honourary Secretary- Sri Niyamatuallah
4. Joint Secretary- Sri Gauri Shankar Verma
5. Auditor- Pt. Ikbal Krishna

संस्था पंजीकृत हो जाने के बाद संस्था के भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना था । परन्तु दूसरी समस्या मुंह बाये खड़ी थीं, क्योंकि संस्थान के पास इतना धन नहीं था कि भवन का निर्माण करवा पाती। आखिर कुल 23 सदस्यों से कितना चन्दा लिया जा सकता था। ऊपर से अंग्रेजी निजाम से हर बात को अपने साम्राज्य वादी हितों की रोशनी में देखने के आदी थें। इस समस्या का निराकरण किया जाना, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि एक भवन निर्माण कम्पनी का गठन किया जाये, जो अधिवक्ता अपना धन लगा सकते हो, उनका धन लगा करके भवन को पूरा कराया जाय। निर्माण पूरा होने पर उसकी लागत धीरे–धीर बार एसोसिएशन के द्वारा कम्पनी को लौटाया जाये। कम्पनी द्वारा निवेश किये गये पूरे धन का भुगतान प्राप्त हो जाने पर उसका स्वामित्व Bar Association Fiazabad मिल जावे।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए Fyzabad Bar Association Buiulding Company limited Fyabad Act VI of 1882 के तहत 21.11.1911 (इक्कीस नवम्बर 1911) को किया गया, जबकि Register of Joint Stock Companies, for United

Provinces of Agra and Oudh, जो कि (I.C.S.) अधिकारी होता था, ने अपने हस्ताक्षरों से प्रमाण–पत्र निर्गत करते हुए कर दिया। उस प्रमाण पत्र को निर्गत करने के लिए रू0 500.00 की फीस अदा की गयी थी।

Bar Association Building Coy. Ltd. में 80 सक्षम अधिवक्तागण शेयर होल्डर बन गये। उपरोक्त कम्पनी की Total Capital 8000/– निर्धारित हुयी इसमें प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा 100.00 प्रत्येक के आधार पर पर तय हुआ! इस कम्पनी को बना कर लोगों ने निर्माण कार्य आरम्भ करवाया था। यह कार्य एक एग्रीमेंट जो Bar Association तथा Bar Association Building Coy Ltd. के बीच हुआ, जिसके आधार पर काम शुरू करवाया गया। यह भवन Bar Association Building Coy Ltd. क`धन से निर्मित हुआ जो Bar Association के द्वारा सम्पूर्ण लागत धनराशि को शनैः–शनैः अधिवक्ता संध द्वारा Bar Association Building Company Ltd. को चुका दिये जाना था। जब B.A.F. ने सम्पूर्ण लागत चार एसोसिएशन कं. लि. को अदा कर दी, जो उसका मालिकाना एवं स्वामित्व Bar Association Faizabad को हासिल हो गया। यह Agreement दिनांक 6 दिसम्बर 1914 को आठ आना के स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया गया था जिसकी कुल 12 शर्तें निर्धारित की गयी। स्थानाभाव के कारण हम उन शर्तों को 80 शेयर होल्डरों का नाम नहीं दे पा रहें है जिन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना धन लगाया था।

29.8.1911 को Commissioner ने Deputy Commissioner को आदेश दिया कि अनुपालन में दिनांक 20.9.1911 को Deputy Commissioner ने Bar Association Faizabad को बगैर अनुमोदन का निर्धारण होने की वजह रूक गया था। फलस्वरुप निर्माण कार्य शुरू न हो सका– लोग बेसब्री से किसी Sanction के निर्धारण हो जाने की प्रतीक्षा कर ही रहे थें कि अचानक अनुमोदन प्राप्त हो जाने की सूचना आ गयी– 8 नवम्बर 1911 को कमिश्नर फैजाबाद ने Deputy

Commissioner Faizabad को अपने पत्रांक सं. 458/IX-1216 Dated 8th November 1911 को जरिये अनुमति प्रदान की कि डीड के अनुपालन में बिना किसी विलम्ब के काम शुरू करवायें।

सरकार की मंशा झुक चुकी थीं। पुराने अपरूबल के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। यह निर्माण कार्य निम्नलिखित ढंग से चल पड़ा।

A OLD BUILDING-

बार एसोसिएशन की मुख्य विल्डिंग दो चरणों में बनी। लखनऊ रोड की तरफ वाला हिस्सा उत्तरी हिस्सा है जिसका निर्माण 1912 में हुआ। वस्तुतः यही हिस्सा पहले मुख्य हिस्सा था जोकि आज पिछले हिस्से के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जो हिस्सा बाद में Bar Association के पिछले हिस्से के रूप में 1940 में निर्मित हुआ था, वही हिस्सा आज कल मुख्य हिस्से के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। Old Building बार एसोसिएशन फैजाबाद की उत्तरी ओर का निर्मित हिस्सा था। जो पहले निर्मित हुई इसमें सामने लखनऊ रोड की तरफ एक पोर्टिको उसके सामने बरामदा, बरामदे के पूरब व पश्चिम में स्थित, दो कमरों को, (पूरब वाले कमरे में प्याऊ और पश्चिमी छोर की तरफ स्थित कमरों में शंका निवारण स्थल के रूप में) निर्मित किया गया। इन दोनों कमरों से दक्षिण क्रमशः दो समानान्तर बरामदे और इनके छोर पर दो अन्य कमरे जो आज मंत्री कक्ष एवम् आफिस के रूप में इस्तोमल हो रहें हैं, बनाये गये। इस निर्माण योजना के अन्तर्गत बरामदें के अन्दर घुसने पर दो कमरे मिलते थें जिसमें संघ की लाइब्रेरी बनायी गयी। यही प्राथमिक स्वरूप था हमारे उस समय में बार एसोसिएशन का, जिसका कुल रकबा 2 विस्वा 19 विस्वांसी तथा 11 कचवांसी था।

1. जो कुछ मिला उस पर निर्माण किया जा चुका है परन्तु जरूरतें पूरी नहीं हो सकी थीं। निर्माण के पश्चात् अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह कही नहीं बची थी, फलस्वरुप शासन से पुनः भूमि की मांग के लिए B.A.F. ने दिनांक 11.12.1937 को फिर एक प्रस्ताव अधिवक्ता संघ के द्वारा पास किया गया जिसके मुताबिक तय किया गया कि बार एसोसिएशन का विस्तार किया जाये जिसके लिए एक बड़ा हाल,

पीछे बरामदा और अगल–बगल कमरों का निर्माण तथा रोड़ की ओर पोर्टिको के सामने बाग लगवाया जाये।

2. बार में मेम्बरों की सुविधाओं की बेहतरी के लिए पार्किग सुविधा हेतु भूमि भी प्राप्त की जावे।

3 संकल्पना के लिए भूमि और धन इकट्ठा करने हेतु 11–सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। इस प्रस्ताव के उपरान्त पुनः भूमि की मांग कमिश्नर के माध्यम से की गयी। भवन हेतु भूमि एवं धन का इन्तजाम करने के उपरानत पुनः निर्माण कार्य शुरू किया गया। यह निर्माण कार्य 1940 में कराया गया। वस्तुतः इसका निर्माण संघ के पिछले हिस्से के रूप में किया गया।

B- NEW BUILDING-

कालान्तर में भवन विस्तार की आवश्यकता पुनः महसूस की गयी थी। इसके चलते पुनः कमिश्नर फैजाबाद के मार्फत Secretory of the State for Agra and Aodh Provinces से सैंक्शन लेकर 1940 में पिछले भाग का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया। इसमें मुख्य मीटिंग हाल बाहरी बरामदा तथा छोटे–छोट दो कमरों का निर्माण किया गया। इन दोनों कमरों में वर्तमान में पूरब तरफ अध्यक्ष बार एसोसिएशन का कमरा है तथा पश्चिम तरफ दूसरी ओर के कमरे में सेफ कमरा है जिसे पहले oath Commissioner's room के रूप में और वर्तमान में Ladies retierting room के रूप में इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इसका संकल रकबा 1 विस्वा 11 विस्वांसी तथा 19 कचवांसी है।

C. GARDEN ETC.-

इसी के उपरान्त कुछ समय पश्चात् जमीन की आवश्यकता पुनः महसूस की जाने लगी। जबकि भूमि प्राप्त करने के लिए शासन व नजूल से गार्डन के दो गेट बनाने के लिए और भूमि विस्तार की मांग एक बार पुनः उठाई गयी। शासन से विवाद भी हुआ, मुकदमें बाजी भी हुयी, नजूल विभाग की आपत्तियों का सामना भी करना पड़ा। पर अन्ततः विजय अधिवक्ता संघ की हुयी। एक गार्डेन और पार्किंग के नाम पर भूमि नजूल से प्राप्त हो गयी जिसका सकल रकबा 9 विस्वा 19 विस्वांसी है। बाग व पार्किग सुविधा के

लिए प्राप्त भूमि में बार एसोसिएशन को जब दो गेटों को बनवाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ, तब इसके लिए बरतानिया शासन से पुनः अनुमति मांगे जाने की आवश्यकता भी महसूस की गयी। इसके लिए सन् 1983ई. में Faizabad के तत्कालीन I.C.S. Deputy Commissioner के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ कि संघ की बढ़ गयी सदस्य संख्या के मद्देनजर मौजूदा निर्माण नितान्त अपर्याप्त है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि दो छोटे–छोटे निर्माण तथा बदहाल बरामदों तथा दो छोटे कमरों की इजाजत दी जावे तथा उत्तर में लखनऊ रोड के बगल नाले से संघ की बनी बिल्डिग के बीच जो गंदगी से भरपूर बेकार की जमीन पड़ी हुई है उसे बाग/पार्किंग सुविधा के लिए प्रदान की जावे।

मामले पर नायब नजूल से आख्या मांगी गयी, उन्होंने आख्या में सुझाव दिया कि एसोसिएशन की मुख्य बिल्डिंग के दक्षिण कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ने की इजाजत देना ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार के किसी विस्तार को अनुमति देना बार एसोसिएशन फैजाबाद के ठीक पूर्व में स्थित को–आपरेटिब बैंक विल्डिंग से इसका एलायनमेंट विगाड़ कर रख देगा, पर उत्तर नाले की तरफ लखनऊ रोड की दिशा में गंदी जमीन की ओर इसका विस्तार हो सकता है, परन्तु उत्तर में लखनऊ रोड की तरफ कोई भी नया गेट खोलने की इजाजत बार एसोसिएशन को नहीं दी जानी चाहिए।

नजूल विभाग द्वारा दिया गया यह स्टेटमेंट पराधीन भारत के निजाम और आजाद भारत के निजाम की मानसिकता में आये परिवर्तन को रेखांकित करता है, क्योंकि आज हम उसी भूमि पर सरकार के खर्चे पर ही अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था देख रहें है। जहां पर कभी उन्हें बढ़ने से मना कर दिया गया था।

D तीन प्रकार के शेड्स–

अधिवक्ता संध के अधिकार/रख रखाव में है ।

1. **लिन्टड शेड्स** – इनकी संख्या 6 थीं, जिसमें दो सबसे पुराने थें, जिन्हें एक ही बड़े शेड को बीच दीवाल से विभाजित करके दो भागों में बांट कर दो बना दिया जाता था। वे अब मौके पर नहीं है। वर्तमान में बार एसोसिएशन के प्राधिकार में लिन्टर्ड शेडों की कुल संख्या 04

है इनमें एक शेड जो सबसे पुराना था उसे ध्वस्त कर इस जमीन पर वर्तमान में 'एडवोकेट चैम्बर ' का निमाण हो रहा है।

2. **सीमेन्ट शीटेड शेड्स** – कलेक्ट्रेट की प्राधिकारिता वाली भूमि को जो बार एसोसिएशन तथा कलेक्ट्रेट के बीच में पड़ती थी उस पर **बाबू विन्ध्याचल सिंह** की अध्यक्षता में तथा **श्री एम.आर.एस. राठौर** के मंत्रित्व काल में शासन द्वारा कई लाख की लागत से सीमेन्ट शीटेड शेड्स का निर्माण सन् 1988 में आरम्भ हुआ, जोकि सन् 1989 में पूर्णरुप से बनकर तैयार हुए इस समय संघ के अध्यक्ष **बाबू वीरेश्वर द्विवेदी** तथा **मंत्री श्री महेश प्रसाद पाण्डेय जी** थें। वर्तमान में इनकी मौजूदा संख्या 16 है। इसके रख–रखाव की जिम्मेदारी बार एसोसिएशन फैजाबाद को सौपी गयी है।

4. **एडवोकेट चैम्बर** – वर्तमान में मुलायम सिंह सरकार के कार्यकाल में आवंटित धनराशि से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसका निर्माण दो पुराने लिन्टर्ड शेड़ों और कुछ सीमेन्ट शीटेड शेड़ों को गिरा कर हो रहा है। इसकी सम्पूर्ण लागत 46. 15 लाख है, जोकि 50 कमरों में युक्त 3 मंजिला विल्डिंग है। इसका निर्माण दिनांक 26.12.2005 से लगातार जारी है। इसका निर्माणारम्भ श्री सभाजीत पाण्डेय की अध्यक्ष काल तथा श्री हिमांशु जी के मंत्रित्व काल में हुआ तथा इसका लोकार्पण होना है। इस समय संघ के अध्यक्ष **श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय जी** तथा ही **मंत्री श्री मानवेन्द्र दूबे जी** है।

E- **आचार्य नरेन्द्र देव कान्फ्रेंस हाल** – अधिवक्ता संघ के इस भव्य कान्फ्रेंय का शिलान्यास दिनांक 23.05.1990ई. में माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किया गया था यह सुप्रसिद्ध समाजवादी विचारक आचार्य नरेन्द्रदेव के जन्म शताब्दी समारोह की स्मृति में पूर्व मुख्यमत्री रह चुके श्री वीर बहादुर सिंह की प्रेरणा से निर्मित हुआ। शिलान्यास के समय इनके अध्यक्ष (स्वयं उन्हीं के आग्रह पर उनका नाम गुमनाम रखा जा रहा है) थें। लाखों की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया उत्तर की तरफ एक बरामदा भी है, जो आजकल

अधिवक्ताओं के बैठने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सन् 1997 ई. में जब इसका लोकार्पण हुआ, तब इसके अध्यक्ष **बाबू विजय कुमार सिन्हा तथा मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह जी** थें। जिन अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल में इसका निर्माण आरम्भ हुआ उन्होंने अपने नाम न छापने का आग्रह किया, मैने कारण जानना चाहा तो बोले **"जिन्होंने इतनी बड़ी संघ की विल्डिंग बनवाया और कहीं अपना नाम न आने दिया, तो मैं किस मुंह से अपना नाम पत्थर पर लिखवाने की हिम्मत करता"**

F- **लाइब्रेरी** – दिनांक 02.06.2001 को बाबू अवधेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता काल में भवन का शिलान्यास माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमत्री उ0 प्र0 के सौजन्य से माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्थानीय विधायक श्री लल्लू सिंह ने किया। इसका लोकार्पण दिनांक 19.12.2003 को श्री चिन्मयानन्द जी माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के द्वारा किया गया। लोकार्पण के समय संघ के अध्यक्ष **बाबू ईश्वर दत्त सिंह** तथा मंत्री श्री **संजीव दूबे जी** थे। इसके निर्माण के उपरान्त, अधिवक्ता संघ की लाइब्रेरी जो संघ के Old Building के दोनों कमरों में थी, इस बिल्डिंग में स्थापित हो गयी। तभी से लाइब्रेरी यहीं पर है, यह भवन 5 लाख की लागत से निर्मित है तथा इसमें लाखों रुपये की दुर्लभ पुस्तकों का भंडार है। इस वर्ष सन् 2006 ई. में भी एक लाख से अधिक पुस्तकों का क्रय किया गया है वर्तमान में ये संघ के लाइब्रेरियन श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह के रख–रखाव में है।

G- **चौधरी चरण सिंह कम्प्यूटर कक्ष** – बार एसोसिएशन को कम्प्यूटर कक्ष के निर्माण माननीय सदस्य विधान परिषद मंत्री श्री मुन्ना सिंह चौहान के सहयोग से उनके द्वारा दिलवायी गयी धनराशि से हुआ और कम्प्यूटर विधायक निधि की धनराशि से सन् 2003 में आया तथा इसका लोकार्पण दिनांक 07.02.2004

को किया गया। इस समय इसके **अध्यक्ष श्री महेश प्रसाद पाण्डेय** तथा **मंत्री श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी** थें।

H- **नोटरी कक्ष (स्व0 प्रेम नारायण मल्होत्रा स्मृति–कक्ष)** – बार एसोसिएशन के ही एक सम्मानित सदस्य स्वर्गीय मल्होत्रा जी के बच्चों के द्वारा दान की गयी तथा एक लाख रूपये की धनराशि से निर्मित है। यह धनराशि अधिवक्ता संघ द्वारा मृत्योपरान्त दी जाने वाली रू0 एक लाख की धनराशि थीं, जो उनके सुपुत्र श्री पुनीत एवं सुपुत्री शची मल्होत्रा ने नोटरी भवन के निर्माण के लिए दान स्वरूप लौटा दिया था। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 21.12.2004 को तत्कालीन संध अध्यक्ष **श्री महेश कुमार पाण्डेय जी** के द्वारा सम्पन्न हुआ तथा इसका लोकार्पण दिनांक 17.1.2005 जो कि स्व0 प्रेम नारायण मल्होत्रा जी की पुण्य तिथि भी है, को तत्कालीन अध्यक्ष **श्री सभाजीत पाण्डेय** जी के द्वारा करवाया गया।

I- वर्तमान में जलभराव की समस्या को समाप्त करने के लिए सोलिंग का कार्य जोरो पर है जो कि पूर्व में निर्मित ध्वस्थ किये गये निर्माणों की ईटों की सहायता से किया जा रहा है।

अधिवक्ता संघ का सन् 1911 में रजिस्ट्रेशन करवाया गया जिसे समय–समय पर नवीनीकरण करवाया जाता रहा। जिसके फलस्वरुप यह प्रदेश की अत्यनत प्राचीन संस्थाओं में गिनी जाती है, जो आज भी कार्य कर रही है। अधिवक्ता संघ का सम्बद्धीकरण Bar Council of U.P. के साथ सन् 1983 में Affiliation No. 11 के रुप में दर्ज करते हुए करवाया गया। पहली बार सम्बद्धीगरण का नवीनीकरण दिनांक 19.11.1989 को करवाया गया जिसमें इसे 1989 से 1994 तक अग्रिम 5 वर्षों के लिए सम्बद्धीकरण किया गया।

अधिवक्ता संघ की यात्रा वृतान्त सन् 1902 ई. से प्रारम्भ होती है। सन् 1905 को इसके प्रस्ताव की अधिकारिक रुप से पुष्टि करते हुए अंग्रेजी हुकुमत को प्रेषित कर इसकी भूमि की आवश्यकता को समझा गया। अतः अधिकारिक रूप से इसी दिन को हम B.A.F. की स्थापना वर्ष के रुप में

देखते है।— अंग्रेजों के जाने के बाद हिन्दुस्तानियों की जब से सरकार बनी तभी से शासन का नजरिया भी बदला। अब तो स्वयं सरकारी तौर पर अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं निमित्त कई योजनाओं में धन अवमुक्त किया जा चुका है, जो अब भी संघ को उत्तरोतर विकासमान बनाये गये है।

राष्ट्र के निर्माण में हमारे अधिवक्ता संघ के कई सदस्यों ने अपना विशिष्ट सहयोग व योगदान प्रदान किया है। इसमें से कुछ का उल्लेख करते चलना अत्यन्त समसामयिकी और प्रासंगिक होगा।

1. आजादी के बाद हमारे संघ के एक सदस्य फैयाज अली देश के विभाजन के बाद पाकिसतान चले गये थे, जोकि पाकिस्तान के सालिसीटर जनरल के पद को सुशोभित कर चुके है। तथा बाद में लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से काम करते हुए स्वर्गवासी हुए।
2. इसके अलावा जाने माने सुप्रसिद्ध समाजवादी चिन्तक आचार्य नरेन्द्र देव जी इस संघ के सदस्य रह चुके है जो कि कई विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सुशोभित कर चुके है।
3. इसके अलावा **बाबू मदनमोहन लाल वर्मा उ.प्र. विधान सभा के स्पीकर रह चुके हैं जो हमारे संघ के सदस्य थें।**
4. **श्री सर्वजीत लाल वर्मा** जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होनें एम.एम.ए. होकर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था वे भी हमारे संघ के सदस्य थें। वे जलालपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत थें जिन्होंने बाद में सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया, जिस समय देश में दल बदल कानून नहीं था उस समय अर्न्तआत्मा की आवाज पर लिया गया एक बड़ा फैसला था।
5. **बाबू रमानाथ महरोत्रा** स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी थ`जो हमारे संघ के सदस्य थें।
6. **बाबू माता प्रसाद सिंह** स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी थें जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाओं को जन्म दिया। यह हमारे संघ के सदस्य और अध्यक्ष रहें है।

7. **श्री शशिधर पाठक** जी ने हमारे संघ के सदस्य के रुप में वकालत करते थें जिन्होंने आगे चलकर उ.प्र. बार काउंसिल के चेयरमैन के पद को सुशोभित किया था।
8. **श्री देवी प्रसाद सिंह** जी ने इसी संघ के सदस्य के रूप में अपनी वकालत शुरू किया था जोकि आज न्यायमूर्ति के पद पर विराजमान है। ये बार काउंसिल उ.प्र. के चेयरमैन भी रहें।
9. **श्री आई0एम0 कद्दूसी** जी भी फैजाबाद में वकालत किये, जो कि उत्तरोत्तर उन्नति के पद पर अग्रसर रहते हुए आज कल उड़ीसा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर विराजमान है।
10. **श्री नियमत उल्ला** जी यहीं से वकालत शुरू किये तथा कार्यवाहक जस्टिस आफ अवध चीफ कोर्ट के पद को सुशोभित किए।
11. **श्री मोहिउद्दीन सिद्दीकी** जी यहां वकालत किए और अंतिम समय में ढाई–तीन लाख की पुस्तकें दान में दे दी। इसी प्रकार इनसे पूर्व श्री इस्माइल साहब हुए थें जिन्होंने लाख रुपये से ऊपर की पुस्तकों से भरी हुयी आलमारियां वकालतखाने को दान में दे दी थीं।
12. **श्री जहीर हसन तथा श्री मुर्तजा हुसैन** यहीं से वकालत शुरू किए और हाईकोर्ट के जज बनें इसके अलावा कई सांसद और विधायक हमारे अधिवक्ता संघ के सदस्य ही रहें और है।

हमारे संघ के सन् 1992 ई. से लेकर सन् 2006 ई. तक कुल 109 वर्ष बीत चुके हैं इस बीच में जिन अध्यक्षों ने अधिवक्ता संघ की विरासत को हम तक पहुँचाया है उन अध्यक्षों की सूची निम्नलिखित रुप से प्रस्तुत की जाती है –

सन् 1902 से सम्मानित अधिवक्ता संघ फैजाबाद के गौरवशाली परम्परा का निर्वहन करने वाले अध्यक्षों की सूची निम्न प्रकार है।

Sl.	Year	Name
1.	1902	Late Sri M. Imtiyaj Ali
2.	1903	Late Sri Manohar Lal
3.	1904	Late Sri Manohar Lal
4.	1905	Late Sri Manohar Lal
5.	1906	Late Sri Manohar Lal
6	1907	Late Sri Babu Baldeo Prasad
7.	1908	Late Sri M.Imtiyaj Ali
8.	1909	Late Sri M. Imtiyaj Ali
9.	1910	LateSri M. imtiyaj Ali
10.	1911	LateSri Bipin Chandra Chaterji
11.	1912	Late Sri Babu Baldeo Prasad
12.	1913	Late Sri Manohar Lal
13.	1914	Late Sri Babu Baldeo Prasad
14.	1915	Late Sri Mahammad Panah
15.	1916	Late Sri Mohammad Panah
16.	1917	Late Sri Ray Bahadur Hardeo Prasad
17.	1918	Late Sri M. Imtiyaj Ali
18.	1919	Late Sri M. Imtiyaj Ali
19.	1920	Late Sri N.N. Dutta
20.	1921	Late Sri N.N. Dutta
21.	1922	Late Sri N.N. Dutta
22.	1923	Late Sri N.N. Dutta
23.	1924	Late Sri N.N. Dutta

Sl.No.	Year	Name
24.	1925	Late Sri N.N. Dutta
25.	1926	Late Sri Parmeshwar Nath Saproo
26.	1927	Late Sri Mahendra Deo Verma
27.	1928	Late Sri Pt. Parmeshwar Nath Saproo
28.	1929	Late Sri Pt. Parmeshwar Nath Saproo
29.	1930	Late Sri G.N. Chaterjee
30.	1931	Late Sri Babu Samman Lal
31.	1932	Late Sri Pt. Parmeshwar Nath Saproo
32.	1933	Late Sri Pt. Parmeshwar Nath Saproo
33.	1934	Late Sri Pt. Parmeshwar Nath Saproo
34.	1935	Late Sri Pt. Sriram Mishra
35.	1936	Late Sri Lal Bihari Singh
36.	1937	Late Sri Babu Samman Lal
37.	1938	Late Sri Mahendra Deo Verma
38.	1939	Late Sri Pt . Ram Nath Sanglow
39.	1940	LateSri Pt. Parmeshwar Nath Saproo
40.	1941	Late Sri Ali Samin
41.	1942	Late Sri Uma Prasad Pandey
42.	1943	Late Sri Jagannath Prasad Sharma
43.	1944	Late Sri L.N. Dutta
44.	1945	Late Sri Pt Parmeshwar Nath Saproo
45.	1946	Late Sri Pt Parmeshwar Nath Saproo
46.	1947	Late Sri Pt Parmeshwar Nath Saproo
47.	1948	Late Sri Pt Parmeshwar Nath Saproo
48.	1949	Late Sri Pt Parmeshwar Nath Saproo

Sl.No	Year	Name
49.	1950	Late Sri Pt Parmeshwar Nath Saproo
50.	1951	Late Sri Pt. Kalika Prasad Mishra
51.	1952	Late Sri Triloki Nath Srivastava
52.	1953	Late Sri Shambhu Nath Kaul
53	1954	Late Sri Shambhu Nath Kaul
54.	1955	Late Sri M.P.Dhawan
55.	1956	Late Sri Bal Bhadra Shahi
56.	1957	Late Sri Pt. Kalika Prasad Mishra
57.	1958	Late Sri Pt. Shambhu Nath Kaul
58.	1959	Late Sri Pt. Shambhu Nath Kaul
59.	1960	Late Sri Pt. Parmeshwar Nat Saproo
60.	1961	Late Sri Pt. Ram Nath Sanglow
61.	1962	Late Sri Jagannath Prasad
62.	1963	Late Sri Babu Bhola Nath Srivastava
63.	1964	Late Sri Surya Pal Singh
64.	1965	Late Sri Bhaguati Singh
65.	1966	Late Sri Radha Raman Dwivedi
66.	1967	Late Sri Pt. Kalika Prasad Mishra
67.	1968	Late Sri Babu Madan Mohan Verma
68.	1969	Late Sri Mata Prasad Singh
69.	1970	Late Sri Kailash Nath Srivastava
70.	1971	Late Sri Ram Prasad Yadav
71.	1972	Late Sri Chaudhari Luxmi Narain
72.	1973	Late Sri Ram Sakal Singh
73	1974	Late Sri Lalta Prasad Singh
74.	1975	Late Sri Ram Chandra Khare

SlNo.	Year	Name
75.	1976	Late Sri Mahmood Jaki Khan
76.	1977	Late Sri Hirdaya Narain Mehrotra
77.	1978	Late Sri Hirdaya Narain Mehrotra
78.	1979	Late Sri Hirdaya Narain Mehrotra
79.	1980	Late Sri Yadu Nath Singh
80.	1981	Late Sri Yadu Nath Singh
81.	1982	Late Sri Pt. Ganesh Prasad Shukla
82.	1983	Late Sri Pt. Shiv Prasad Mishra
83.	1984	Late Sri Pt. Shiv Prasad Mishra
84.	1985	Sri Th. Satya Narain Singh 'Satya'
85.	1986	Sri Th. Satya Narain Singh 'Satya'
86.	1987	Sri Babu Vindhyachal Singh
87.	1988	Sri Babu Vindhyachal Singh
88.	1989	Sri Pt. Vireshwar Dwivedi
89.	1990	Sri Narsingh narain Singh 'Kamrade'
90.	1991	Sri Ganesh Prasad Shukla
91.	1992	Sri Babu Vindhachal Singh
92.	1993	Sri Prakash Chandra Ojha
93.	1994	Sri Shiv Prasad Yadav
94.	1995	Sri Radhy Shyam Singh
95.	1996	Sri Hari Narain Srivastava
96.	1997	Sri Vijay Kumar Sinha
97.	1998	Late Sri J.N.S. Rathour
98.	1999	Sri Sabhajeet Pandey
99.	2000	Th. Awadhesh Pratap Singh.
100.	2001	Sri Raj Karan Dwivedi

SlNo.	Year	Name
101	2002	Sri Vijay Shankar Pandey
102	2003	Sri Babu I.D. Singh.
103	2004	Sri Mahesh Prasad Pandey
104	2005	Sri Sabhajeet Pandey
105	2006	Sri Prakash Chandra Pandey